

ग्राम पंचायत दियोठी, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016

1 प्रस्तावना

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत दियोठी, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान		
क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमति शकुन्तला चौहान	23.01.2011 से 22.01.2016
2	श्रीमति सरोज	23.01.2016 से लगातार
सचिव		
क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री भूपेन्द्र	01.04.2014 तक
2	श्री सत्य प्रकाश	01.04.2014 से लगातार

(ख) **गम्भीर अनियमितता का सार:-** ग्राम पंचायत दियोठी के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	5(ख)	बैंक समाधान विवरण तैयार न करने के कारण रोकड़ बही और बैंक खातों के अन्त शेष में अंतर पाया जाना	4.13
2	6	पंचायत के खाता "ख" से अर्जित ब्याज की राशि को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना	0.83

3	7(क)	रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय के सम्बन्ध में रसीद इत्यादि जारी न किया जाना	17.68
4	10	दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.64
5	11	दिनांक 31.03.2016 तक अनुदानों का उपयोग न किया जाना	39.17
6	12	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय किया जाना	11.00
7	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक स्टोर का क्रय करना	0.73
8	14	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि न किया जाना	3.05
9	15	अनिवार्य औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही भुगतान करना	24.69
10	16	अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना	3.38

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत दियोठी, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 21.09.2016 से 24.09.2016 के दौरान ग्राम पंचायत सैज में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2013-14	02/2014	04/2013
2014-15	11/2014	01/2015
2015-16	03/2016	11/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत दियोठी, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 225/2016 दिनांक 24.09.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, दियोठी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

सचिव, ग्राम पंचायत दियोठी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA & Integrated Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदनुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में Ledger Accounts नहीं बनाए गए हैं। Ledger Accounts नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय, व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न “परिशिष्ट- 1” पर दिया गया है।

5 (क) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

ग्राम पंचायत दियोठी की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) के अनुसार मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अनिवार्य है। अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत दियोठी द्वारा अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण से दिनांक 31.03.2016 को विभिन्न रोकड़ बहियों और संबन्धित बैंक खातों के अंत शेष में ₹413112.05 (214364.97+198747.08) का अन्तर था। विवरण निम्न दिया गया है। इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 225/2016 और 226/2016 दिनांक 29.09.2016 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत को इस अन्तर के कारणों को स्पष्ट करने बारे और इस अन्तर को समायोजित किए जाने बारे आग्रह किया गया था। इस बारे में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरण तैयार न किए जाने के कारण यह अंतर है जिसका बैंक समाधान विवरणी तैयार करके समाधान किया जायेगा। अतः नियमों की अवहेलना करके मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये भविष्य में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही के अंत शेष और बैंक खातों के अंत शेष के निम्न विवरणानुसार पाए गए अन्तर को प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Particulars	General Book	Cash	Integrated Shed Development Project	Water Development
-------------	--------------	------	-------------------------------------	-------------------

रोकड़बही के अनुसार तैयार की गई वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2016 को अंतिम शेष (Note :- दिनांक 01.04.2013 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balances को भी सम्मिलित किया गया है।)

Detail of Bank Balances

Cash in Hand	181701.00		
Account No 44410100019 of HPSC Bank	3087586.97		
Account No. 44410110180 of HPSC Bank	54624.00		
Account No. 1038000100046959 of PNB Bank			360288.92
Total	3323911.97		360288.92
Difference	214364.97		198747.08

6 पंचायत के खाता “ख” से अर्जित ब्याज ₹0.83/- लाख की राशि को खाता “क” में अन्तरित न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता “ख” में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को पंचायत निधि के स्वः संसाधनों के खाता “क” में अन्तरित किया जाना अपेक्षित हैं। परन्तु अंकेक्षण में पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता “ख” में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की ₹830385/- को खाता “क” में अन्तरित नहीं किया गया था। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये, खाता “ख” में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को खाता “क” में अन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि 04/2013 से 03/2016 के दौरान खाता “ख” में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का विवरण

Year	Name of GIA	Amount of Interest Earned
	MG Narega	3204.00
	IWSDP	25917.00
2013-14	IWSDP(Public Share)	5522.00
	MG Narega	791.00
	IWSDP	15231.00
2014-15	IWSDP(Public Share)	8438.00
	MG Narega	0.00
	IWSDP	14068.00
2015-16	IWSDP(Public Share)	9867.00
	Total	83038.00

7 (क) रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय ₹ 17.68लाख के सम्बन्ध में रसीद इत्यादि जारी न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी उस स्थिति में सचिव द्वारा फार्म-3 में उस प्राप्ति के बदले में रसीद जारी किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट - 2** में दिये गए विवरण अनुसार अवधि 04/2013 से 03/2016 के दौरान ₹1768405/- की प्राप्त आय के बदले में सचिव द्वारा कोई रसीद जारी नहीं की गई थी। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये प्राप्त आय के बदले में रसीद जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) रोकड़ बही में लेखांकित ₹0.02लाख की आय के सम्बन्ध में जारी रसीदों को आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न किया जाना

अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में ₹2903/- की आय लेखांकित की गई थी, परंतु आय के बदले जारी की गई रसीदों को आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण से इन रसीदों के द्वारा प्राप्त राशि की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। अतः आय के सम्बन्ध में जारी रसीदों को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Date	CBPNo.	Amount	Remarks
20.11.2014	6	2100	R.No. 35280
20.11.2014	6	176	R.No. 35281,35282
20.11.2014	10	510	R.No. 35283 to 35284
21.03.2016	28	22	R.No. 35299
21.03.2016	28	95	R.No.35300
Total		2903	

8. निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **“परिशिष्ट -2(क)”** में दिये गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था , जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

10 पंचायत राजस्व की ₹0.64लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक राजस्व ₹0.64 लाख वसूली हेतु शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

11 अनुदान की ₹39.17लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्वः स्रोतों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2016 तक कुल ₹3917054/- उपयोग हेतु शेष थे। विवरण **परिशिष्ट-4** पर दिया गया है। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापण संबन्धित संस्था को किया जाए।

12 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹11.00लाख का अनियमित व्यय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **“परिशिष्ट-5”** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹1100668/-का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया ,

जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यो पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.73लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि “परिशिष्ट-6” में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹73440/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया , जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 क्रय किए गए ₹3.05 लाख के स्थाई एवं अस्थायी भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टियां न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थायी प्रकृति के अनुरूप फार्म 25,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री से संबन्धित अभिलेख की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय की गई ₹305988/- की विभिन्न मदों, जिनका विवरण “परिशिष्ट-7” में दिया गया है , को क्रय करने के उपरांत भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 अनिवार्य औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹24.69लाख का भुगतान करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1),(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा किए गए सभी प्रकार के भुगतान को ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित किया जायेगा। अंकेक्षण में अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान ₹2469915/- भुगतान बिलों की जाँच करने में पाया गया कि भुगतान जिनका विवरण परिशिष्ट 8 में दिया गया हैं, को ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था , और न ही भुगतान बिल पर पंचायत प्रस्ताव संख्या अंकित की गई थी , जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 अस्थाई अग्रिमों ₹3.38 लाख का समायोजन न करना

व्यय वाऊचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत के पदाधिकारियों को विभिन्न प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार अस्थाई अग्रिम की राशियों का भुगतान किया गया था। नियमानुसार प्रयोजन के पूर्ण होने के तुरंत बाद अग्रिमों का समायोजन किया जाना अपेक्षित था , लेकिन **परिशिष्ट - 9(i) और 9(ii)** में दिये गए विवरणानुसार अस्थाई अग्रिमों के समायोजन हेतु उचित कार्यवाई न करने के कारण दिनांक 31.03.2016 तक कुल ₹338416/- के अस्थाई अग्रिम की राशि समायोजन हेतु लंबित थे। इस प्रकार अस्थाई अग्रिमों का समय पर समायोजन न करवाने के कारण राशि के अस्थाई दुर्विनियोजन की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अस्थाई अग्रिमों को समय पर समायोजित न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इन राशियों का यथाशीघ्र समायोजन किया जाए।

17 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक हैं। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते(Ladgers)	7	29(1)
6	क्लासीफाइड एबस्ट्रैक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

18 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया

गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 विविध अनियमितताएँ

(क) रोकड़ बही का नियमानुसार लेखांकन न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की प्राप्त आय और अनुदानों हेतु बैंक में दो खातों में जमा करवाया जायेगा। यह खाते पंचायत फंड - A और पंचायत फंड -B होंगे। पंचायत फंड - A में ग्राम पंचायत के स्वः स्रोत आय जमा होगी जबकि पंचायत फंड -B में अनुदानों से संबन्धित आय जमा की जायेगी। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत की आय-व्यय और अनुदानों के लेखांकन हेतु निम्न रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है, तथा साथ ही प्राप्त स्वः स्रोत आय और विभिन्न अनुदानों को विभिन्न बैंक खातों में तदनुसार ही जमा करवाया गया था, जबकि उपरोक्त नियम के अनुसार दो बैंक खाते खोले जाने थे और पंचायत फंड - A और पंचायत फंड -B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन किया जाना चाहिए था। अतः पंचायत फंड - A और पंचायत फंड -B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

General Cash Book	इस रोकड़बही में Own Sources और विभिन्न GIA (Other than Water Shed Grant, एवं MANGERGA) का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for MG NAREGA	इस रोकड़बही में MG NAREGA से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for Integrated Water Shed Grant	इस रोकड़बही में Integrated Water Shed Grant से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for Integrated Water Shed Grant(Public Share)	इस रोकड़बही में Integrated Water Shed Grant (Public Share) से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत दियोठी द्वारा हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) के अनुसार वर्ष के अंत में रोकड़ बही में Cash in hand के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अतः सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म -7 पर

खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अतः नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर Classified Abstract का निर्माण किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर Classified Abstract का निर्माण नहीं किया गया था। Classified Abstract की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अतः नियम 29(4) के अनुसार Classified Abstract का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यो का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत दियोठी द्वारा नहीं बनाई गई थी। अतः अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(ङ) अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 4/2015 से 3/2016 के दौरान मनरेगा से संबन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन-देन जिलाधीश कार्यालय, शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया जाता है। अतः उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही इस सम्बन्ध आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

(च) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की पढ़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत दियोठी द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं ? अतः आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को

स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही रसीदों को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

20 लघु आपति विवरणिका :- लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपतियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

21 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(i) 33/2016-खण्ड-1-895-898 दिनांक:09.02.2017
शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत दियोठी, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.